इस्पा*त मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या12*

30 नवम्बंर, 2015 को उत्त र के लिए

इस्पात का आयात

***12. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्द्ध रूप से तैयार इस्पात सहित इस्पात के आयात का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर और पूर्व के देशों से इस्पात आयात को प्रतिबंधित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में इस्पात के आयात में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू इस्पात उद्योग को संरक्षण प्रदान करने और देश में इस्पात के अवांछित पाटन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तछर

इस्पाित और खान मंत्री **(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

(क) से (घ): एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

***

"इस्पात आयात" के बारे में श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी , संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में दिनांक 30 नवंबर, 2015 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *12 के भाग (क) से (घ) के उत्तलर में उल्लिखित विवरण

(क): ब्यौ रा अनुबंध में दियागया है।

(ख): विशेषत: उत्तमरी और पश्चिमी देशों से इस्प्ात के आयात को प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ता व नहीं है।

(ग) और (घ) : इस्पाित नियंत्रणमुक्तस क्षेत्र होने के कारण सरकार की भूमिका देश में इस्पाेत उद्योग को बढावा देने के लिए सुविधाप्रदाता तक ही सीमित है। इसलिए विभिन्नक श्रेणियों के इस्पाेत आदि के आयात संबंधी निर्णय संबंधित इस्पा त विनिर्माता अथवा अन्यर हितधारकों का एक मात्र निर्णय होता है। देश में इस्पारत के आयात में वृद्धि/कमी घरेलू बाजार में इस्पा त के विभिन्न। मदों/ग्रेडों के लिए मांग- आपूर्ति करेंसी के मूल्यम में उतार-चढाव़आयात विनियमों आदि जैसे विभिन्नन कारकों पर निर्भर होता है। पिछले तीन वर्षों के उपलब्धू आंकड़ों के अनुसार इस्प्ात के आयात में 2014-15 और 2015-16 की प्रथम छमाही में काफी वृद्धि हुई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में केवल गुणवत्ताे युक्त1 इस्पामत के आयात की ही अनुमति हो और घरेलू इस्पाकत उद्योग को कच्चेव माल की पर्याप्त् आपूर्ति भी सुनिश्चित हो, सरकार ने निम्नतलिखित उपाय किए हैं:

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल गुणवत्ताल युक्तह इस्पापत का ही आयात हो , सरकार ने पीछे 4.12.14 को यथा संशोधित इस्पात और इस्पातत उत्पाेद (गुणवत्ता, नियंत्रण) आदेश दिनांक 12.03.12 अधिसूचित किया है।

(ii) केन्द्री य बजट 2015-16 ने फ्लैट और नान-फ्लैट दोनों इस्पाात उत्प्ादों पर मूल सीमा शुल्कां की उच्चदतम दर क्रमश: 7.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के स्ततरों से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

(iii) इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टी6ल (फ्लैट एवं लांग) स्टे्नलैस स्टी़ल (लांग) और नान-अलॉय लांग उत्पा द पर आयात शुल्कर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया और नान अलॉय तथा अन्यन अलॉय फ्लैट उत्पादों पर यह शुल्कश 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया । इसे पुन: अगस्त , 2015 में संशोधित करके फ्लैट स्टी ल पर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत , लांग स्टी0ल पर 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और अर्द्ध फिनिश्ड स्टी ल पर 7.5 से 10 प्रतिशत किया गया है।

(iv) सरकार ने नवम्ब्र , 2014 में निर्देश दिया कि रिबार्स के आयात केवल इस्पानत उत्पारद गुणवत्तास नियंत्रण आदेश 2012 के अनुसार ही हों ताकि बोरोन युक्ते रिबार्स के सस्तेत आयातों के अन्तयर्प्रवाह को रोका जा सके।

(v) सरकार ने जून, 2015 में स्टेरनलैस स्टी ल के कतिपय किस्मों के हॉट रोल्डा फ्लैट उत्पादों के चीन ($ 309 प्रति टन), कोरिया ($ 180 प्रति टन) और मलेशिया ($ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई है।

(vi) सितम्बूर, 2015 में सरकार ने 200 दिनों की अवधि के लिए 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वाबयलों में नान अलॉय और अन्ये अलॉय स्टील के हॉट रोल्डम फ्लैट उत्पादों पर 20 प्रतिशत का अनन्तिम सुरक्षोपाय शुल्कल लगाया है।

30.11.2015 को लोक सभा तारांकित प्रश्नत सं. 12 के उत्तगर का अनुबंध

इस्पा5त का देशवार आयात - नॉन अलॉय़ अलॉय और स्टेकनलैस

(मात्रा : हजार टन में)

देश	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अप्रैल- अक्टूबर 2015)
अर्जेंटीना	2.10	0.53	1.74	0.16
ऑस्ट्रेलिया	26.72	6.29	9.87	2.83
बहरीन	12.23	5.04	7.01	2.71
बांग्लादेश	0.29	0.10	0.00	0.26
बेल्जियम	170.30	95.30	130.92	59.55
ब्राजील	234.97	77.17	146.06	102.48
कनाडा	45.80	19.23	9.07	4.79
चिली	0.10	0.06	0.28	0.16
चीन	1688.24	1088.44	3610.47	2050.34
डेनमार्क	10.72	12.74	20.02	8.01
जिबूती	0.41	0.00	0.00	0.62
मिस्र	0.00	0.00	0.00	0
फिनलैंड	12.38	13.81	11.80	7.49
फ्रांस	126.95	36.69	156.38	41.42
जर्मनी	573.81	189.71	155.16	133.11
घाना	0.05	0.04	0.00	0
हांगकांग	3.24	0.65	1.66	2.28
इंडोनेशिया	5.49	2.29	157.49	322.43
ईरान	129.18	127.72	0.00	0
इटली	85.80	25.59	56.19	19.45
जापान	1586.74	1355.68	1601.93	1404.21
जोर्डन	0.00	0.15	0.00	0.19
कजाखस्तान	14.06	8.12	8.93	4.91
कोरिया	1664.32	1320.69	1926.65	1820.27
कुवैत	20.67	26.06	47.22	2.75
लेबनान	0.37	0.18	0.00	0
मैसेडोनिया	0.00	0.00	0.00	0
मलेशिया	48.38	32.83	105.30	57.04
नीदरलैंड	27.49	22.12	44.97	12.46
रोमानिया	10.46	26.21	11.14	1.13
रूस	536.17	147.40	228.54	220.63
सऊदी अरब	42.48	67.80	4.19	0.44
दक्षिण अफ्रीका	69.04	52.98	98.36	82.05
स्पेन	73.65	21.12	29.67	15.74
श्री लंका	0.30	0.22	0.12	0.11
ताइवान	200.06	118.76	190.58	111.78
थाईलैंड	18.60	21.89	15.93	33.92
तुर्की	36.28	14.14	29.09	0.87
यू.के.	80.88	32.59	40.98	26.19
यूएई	149.60	54.72	186.27	109.86
यूक्रेन	422.74	323.17	349.05	175.51
अमेरीका	167.33	103.67	144.19	67.71
अन्य	418.81	252.55	479.53	4441.41
कुल	**8717.21**	**5704.45**	**10016.76**	**7199.15**

स्रोत : जे पी सी

****